न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
117/2015	25/06/2015	06.01.2026

1 मांगीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
मृतक के कायम मुकामान
1/1 साहबलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा
1/2 लक्ष्मीचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीणा
1/3 हेमराज पुत्र मांगीलाल जाति मीणा
1/4 कैलाशबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा
1/5 मेवाबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा निवासीगण बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2 लटूरलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
मृतक के कायम मुकामान
2/1 बच्छराज पुत्र लटूरलाल जाति मीणा
2/2 रामकरण पुत्र लटूरलाल जाति मीणा
2/3 कोमलचन्द पुत्र लटूरलाल जाति मीणा
2/4 अर्जुनलाल पुत्र लटूरलाल जाति मीणा
2/5 मदनलाल पुत्र लटूरलाल जाति मीणा
2/6 तस्वीरबाई पुत्री लटूरलाल जाति मीणा
2/7 मूर्तिबाई पुत्री लटूरलाल जाति मीणा
2/8 प्रकाशबाई पुत्री लटूरलाल जाति मीणा निवासीगण खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
3 बंशीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
मृतक के कायम मुकामान
3/1 लेखराज पुत्र बंशीलाल जाति मीणा
3/2 कैलाशचन्द पुत्र बंशीलाल जाति मीणा
3/3 राजकरन्ता पुत्री बंशीलाल जाति मीणा
3/4 कलावती पुत्री बंशीलाल निवासीगण बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
4 महावीर पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा
5 परमानन्द पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा
6 जलेबी पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा
7 संतरा पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा
8 रामप्यारी बेवा जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1 बिरधीलाल पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी अल्लापुर तहसील पीपल्दा मृतक जरिये कायममुकामन
1/1 लटूरलाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी अल्लापुर
1/2 हेमराज पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी अल्लापुर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

1/3 कन्या बेवा बिरधीलाल जाति मीणा निवासी अल्लापुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

2 रामनिवास पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा

3 लटूरलाल पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा

4 दाखा पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा

5 कमला पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा

6 रामसिया पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

7 भवानीशंकर पुत्र घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

8 चन्द्रभान पुत्र धाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

मृतक के कायममुकामान

8/1 काली पत्नी चन्द्रभान जाति मीणा

8/2 ओम पुत्र चन्द्रभान जाति मीणा

8/3 नरेश पुत्री चन्द्रभाण जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

9 चौथमल पुत्र घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

10 केदारलाल पुत्र घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

11 गिर्राज पुत्र घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

12 गीता पुत्री घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

13 अयोध्या पुत्री घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

14 सीताराम पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

मृतक के कायममुकामान

14/1 जोधराज पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा

14/2 चेतन पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा

14/3 संतोष पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा

14/4 सीमा पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा

14/5 फुमा बेवा सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

15 कुंजबिहारी पुत्र किसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

16 छगनलाल पुत्र किसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

17 छोटूलाल पुत्र किसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

18 रूकमणी पुत्री किसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मृतक के कायम मुकामान –

18/1 रवि पुत्र रूकमणी जाति मीणा

18/2 रामरेश पुत्री रूकमणी जाति मीणा

19 किशकिन्धा पुत्री किसना जाति मीणा निवासी बोरदा

20 प्रभूलाल पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा

21 रामहैत पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा

22 बद्रीलाल पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा

23 रामकल्याण पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा

उपखण्ड अधिकारी

24 गायत्री पुत्री बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा
25 दोपदी पुत्री बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा
26 गोमदी पुत्री बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री श्याम बैरवा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री एस0टी0एच0 आब्दी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण धन्ना के वारीसान है तथा प्रतिवादीगण 1 से लगायत 6 पन्ना के वारीसान, प्रतिवादीगण 7 से लगायत 14 घासी के वारीसान है, प्रतिवादी क्रम 15 से लगायत 19 किसना के वारिसान है प्रतिवादी क्रम 20 से लगायत 27 बिसना के वारिसान है। मृतक नारायण द्वारा अपने जीवन काल में ही अपने पांच पुत्रों धन्ना, पन्ना, घासी, बिसना, किसना, को पारिवारिक सहमति से बंटवारा करते हुये पांच भाईयों को अलग अलग हिस्सो में बांटकर अपने खाते की कृषि आराजीयात को काश्त करने से लिए दी गई तब से ही पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त कृषि आराजीयात पर पांच भाईयों की मृत्यु के बाद उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त करतें चले आ रहे है। प्रतिवादीगण बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता पन्ना को दी गई कृषि आराजी इस प्रकार है। ग्राम खेडली बोरदा खसरा 91/1 रकबा 0.42, ख0नं0 103 रकबा 1.61है0, ग्राम खेरदा खसरा नं0 124 रकबा 0.09हे0, ख0नं0 459 रकबा 0.24है0, ख0नं0 460 रकबा 0.09, ख0नं0 461 रकबा 0.11है0, ख0नं0 169 रकबा 1.07है0, ग्राम खेडली बोरदा ख0नं0 91 रकबा 3.17हे0, ख0नं0 91/2 रकबा 0.43है0, ख0नं0 103/1 रकबा 1.60है0, पारिवारिक बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादीगण ने के दादा / पिता बिशना को दी गई कृषि आराजी इस प्रकार है ग्राम खेरदा ख0नं0 379 रकबा 0.36है0, ख0नं0 458/541 रकबा 0.24है0, ग्राम खेरदा ख0नं0 354 रकबा 0.34है0, ग्राम खेरदा ख0नं0 354 रकबा 0.34है0, ग्राम खेडलीबोरदा ख0नं0 82 रकबा 1.82है0, ख0नं0 42 रकबा 1.79है0, ख0नं0 82/568 रकबा 1.82है0, ख0नं0 83/569 रकबा 1.88है0, ख0नं0 83 रकबा 1.88हे0, ग्राम खेरदा ख0नं0 450 रकबा 0.24है0, पारिवारिक बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी क्रम 7 से 13 के पिता घांसी को दी गई कृषि आराजी इस प्रकार है कि ग्राम खेरदा ख0नं0 231 रकबा 0.96है0, ख0नं0 232 रकबा 0.68है0, ख0नं0 233 रकबा 0.23है0, ख0नं0 436 रकबा 1.61है0, ख0नं0 346 रकबा 0.76है0, ख0नं0 571/402 रकबा 0.16है0, ख0नं0 226 रकबा 0.85है0, ख0नं0 227 रकबा 0.13है, ख0नं0 228 रकबा 0.23है0, ग्राम खेरदा ख0नं0 374 रकबा 0.85है0, ख0नं0 398 रकबा 0.26है0, ख0नं0 290 रकबा 2.56है0, ख0नं0 114 रकबा 0.08है0, ख0नं0 121 रकबा 0.26है0, ख0नं0 299 रकबा 0.14है0, ख0नं0 343 रकबा 0.17है0, ख0नं0 344 रकबा 2.55है0, ख0नं0 300 रकबा 2.42है0, ख0नं0 472/1 रकबा 0.80है0, ख0नं0 502 रकबा 0.72है0, ख0नं0 229 रकबा 0.17है0, ख0नं0 375 रकबा 0.39है0, पारिवारिक बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी क्रम 14 से 19 के पिता किसना को दी गई कृषि आराजी इस प्रकार है कि ग्राम शेरगंज ख.न. 289 रकबा 3.88है0, ख0नं0 512 रकबा 2.61है0, ख0नं0 539 रकबा 1.37है0, ख0नं0 540 रकबा 0.99है0, पारिवारिक बंटवारे के मुताबिक वादीगण के दादा/पिता धन्ना को दी गई कृषि आराजी इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

है कि ग्राम बोरदा ख.नं. 100 रकबा 0.02है0, ख0नं0 541 रकबा 1.26है0, ख0नं0 554 रकबा 2.08है0, ख0नं0 553 रकबा 2.07है0, है। वादीगण के पिता/ दादा तथा प्रतिवादीगण के पिता/दादा नारायण के पुत्रान धन्ना पन्ना, घांसी, बिसना, किसना पांच भाईयों द्वारा पिता नारायण की मौजूदगी में ग्राम वासियान व गवाहान के समक्ष दिनांक 8–6–1980 सं. 2036 को एक पंचनामा समझौता तहरीर आलेखित किया गया कि हम पांच भाईयों में से जो भी पिता नारायण की वृद्धावस्था में सेवा सुश्रुषा देखभाल व उनका भरण पोषण करेगा उसके लिए 40 बीघा खेत (खंजडा वाला) जो ढीपरी चम्बल के माल में स्थित है। जो वर्तमान आडागेला उर्फ हरिनगर के माल में स्थित है। जिसके नवीन ख.नं. 466 रकबा 5.70 हैक्टर को दिया जावेगा उक्त पंचनामा समझौता पत्र चार भाईयों पन्ना, घासी, किसना, बिसना पुत्रान नारायण द्वारा नारायण की उपस्थिति में आलिखित किया गया कि आज दिनांक से उक्त वर्णित कृषि आराजी धन्ना के हवाले कर दी है। जिस पर हमारा भाई धन्ना अपना स्वयं का नाम खाते में दर्ज करावे इसमें हमें व हमारे वारिसान को भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी। तब से ही उक्त कृषि आराजी पर धन्ना पुत्र नारायण काबिज काश्त चला आ रहा था और धन्ना की मृत्यु के बाद उनके वारिसान वादीगण वर्तमान में काबिज काश्त है। नारायण के फौत हो जाने के बाद वादीगण के पिता/दादा निरक्षर व राजस्व जानकारी नही होने के कारण तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा मृतक नारायण के स्थान पर उक्त कृषि आराजी वाके माल आडागेला उर्फ हरिनगर की ख.नं. 466 की रकबा 5.70 हैक्टर पर धन्ना के अतिरिक्त धोर त्रुटि करते हुये व दिनांक 8–6–1980 की आलेखित तहरीर समझौता की अनदेखी करते हुये प्रतिवादीगण के पिता/दादा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया जिसका दुरुस्त करवाकर वादीगण द्वारा अपना नाम उक्त कृषि आराजी पर दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण की नियत में बदलाव आ जाने के कारण तथा प्रतिवादीगण के दादा/पिता का नाम आडागेला उर्फ हरिनगर की ख.नं. 466 रकबा 5.70 हैक्टर कृषि आराजी होने के कारण प्रतिवादीगण बार–बार वादीगण को धमकीया देते है कि हम हमारी जमीन को लेकर रहेगे जबकि प्रतिवादीगण का उक्त कृषि आराजी पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। जबकि वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण के दादा/पिता के नाम खाते से विलोपित करवा कर न्यायालय श्रीमान की सहायता से अपना नाम दर्ज करावे। प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम आडागेला की ख.नं. 466 की रकबा 5.70 हैक्टर पर प्रतिवादीगण के दादा/पिता का नाम गलत तरीके से दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाना चाहते है तथा उक्त कृ षि आराजी से बेदखल करने व अवैध कब्जा करने की बार–बार धमकी देने के कारण वाद कारण दिनांक 18–6–2015 को वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाके माल आडागेला उर्फ हरिनगर की कृषि आराजी रूनं. 466 की रकबा 5.70 हैक्टर से प्रतिवादीगण के दादा/पिता किशना, घासी, बिसना, पन्ना पुत्रान नारायण का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा तदअनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे की वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन द्वारा प्रतिवादीगण को तलब किया प्रतिवादी की ओर से एस0टी0एच0 आब्दी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो कि 29. 10.2015 को किया गया था। लगातार जवाब का अवसर दिए जाने के बावजूद

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 23.01.2018 को जवाब का अवसर न्यायालय द्वारा बंद कर दिया गया तथा पत्रावली साक्ष्यवादी के लिए नियत की गई। दौराने वाद प्रतिवादी कम 8 की मृत्यु तथा प्रतिवादी कम 14 तथा प्रतिवादी सं0 19 की मृत्यु के उपरान्त इनके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने के लिए 26.08.2019 को आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रार्थना पत्र तथा विलंब माफी के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पेश किया जिसे स्वीकार कर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया। वादी कम 1, 2, 3 की मृत्यु हो जाने के कारण मृतकों के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 के द्वारा लिया गया तथा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। पत्रावली में पुनः फर्द दस्तावेज फर्द मौका रिपोर्ट, पटवार हल्का आडागेला उर्फ हरिनगर, तहरीर पत्र ग्राम पंचायत बोरदा तथा रसीद सिंचाई विभाग प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किये।

वाद पत्र वादी जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वाद पत्र की मद संख्या 4, 5 व 6 के मुताबिक विवादित आराजीयात का पूर्व में सहमति बंटवारा हो चुका है। वादी

2. आया दिनांक 08.06.1980 को विवादित भूमि जिसके नवीन ख0नं0 466 रकबा 5.70है0 है, पंचनामा समझौता अनुसार धन्ना के हवाले की गई। वादी

3. आया वादी ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर की कृषि आराजी ख0नं0 466 की रकबा 5.70है0 से प्रतिवादी के दादा/पिता किशना, घासी, बिसना, पन्ना पुत्रान नारायण का नाम विलोपित कराने तथा स्वयं को खातेदार घोषित कराने के हकदार है। वादी

4. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के हकदार है। वादी

साक्ष्यवादी में शपथ–पत्र साक्ष्यवादी पी0डब्ल्यू0 1 साहबलाल पुत्र श्री मांगीलाल, शपथ पत्र साक्ष्यवादी पी0डब्ल्यू0 2 बच्छराज, शपथ पत्र साक्ष्यवादी पी0डब्ल्यू0 3, लेखराज पुत्र बंशीलाल, शपथपत्र साक्ष्यवादी पी0डब्ल्यू0 4 महावीर पुत्र जगन्नाथ, शपथ पत्र साक्ष्यवादी पी0डब्ल्यू0 5 तुलसीराम पुत्र सीताराम तथा शपथ पत्र साक्ष्यवादी पी0डब्ल्यू0 6 नाथूलाल पुत्र श्री माधोलाल प्रस्तुत किये तथा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

1. आरआरटी 2014–15 (Supply) पेज नं0 567
2. आरआरटी 2022 (2) पेज नं0 1262–66
3. आरआरटी 2022 (2) पेज नं0 1367–1370
4. आरआरटी 2012 (1) पेज नं0 227–229
5. आरआरटी 2023 (2) पेज नं0 1120–1126
6. आरआरटी 2023 (2) पेज नं0 880
7. आरआरटी 2021 (2) पेज नं0 1050–1056
8. आरआरटी 2015 (2) पेज नं0 846–853

वादी ने अपने वाद के समर्थन में राजीनामा समझौता दिनांक 08.06.1980 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खसरा नम्बर 466 ग्राम आडागेला उर्फ हरिगनर प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 खसरा नम्बर 466 ग्राम आडागेला उर्फ हरिगनर

प्रदर्श 3 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खसरा नम्बर 91/1, 103 ग्राम खैडली बोरदा प्रदर्श 4 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 124 ग्राम खैरदा प्रदर्श 5 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 169 ग्राम खैरदा प्रदर्श 6 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खसरा नम्बर 91 ग्राम खैडली बोरदा प्रदर्श 7 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खसरा नम्बर 91/2, 103/1 ग्राम खैडली बोरदा प्रदर्श 8 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 379, 458/541 ग्राम खैरदा प्रदर्श 9 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 354 ग्राम खैरदा प्रदर्श 10 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खसरा नम्बर 82 ग्राम खैडली बोरदा प्रदर्श 11 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खसरा नम्बर 42 ग्राम खैडली बोरदा प्रदर्श 12 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खसरा नम्बर 82/568 ग्राम खैडली बोरदा प्रदर्श 13 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खसरा नम्बर 83/569 ग्राम खैडली बोरदा प्रदर्श 14 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खसरा नम्बर 83 ग्राम खैडली बोरदा प्रदर्श 15 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 458 ग्राम खैरदा प्रदर्श 16 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 231, 232, 233,436 ग्राम खैरदा प्रदर्श 17, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 346 ग्राम खैरदा प्रदर्श 18 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 571/402 ग्राम खैरदा प्रदर्श 19 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 226, 227, 228, 374, 398 ग्राम खैरदा प्रदर्श 20 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 290 ग्राम खैरदा प्रदर्श 21 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 114, 121, 122, 299, 343, 344 ग्राम खैरदा प्रदर्श 22 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 300, 472/1, 502 ग्राम खैरदा प्रदर्श 23 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खसरा नम्बर 229, 375 ग्राम खैरदा प्रदर्श 24 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खसरा नम्बर 289 ग्राम शेरगंज प्रदर्श 25 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खसरा नम्बर 512, 539, 540 ग्राम बोरदा प्रदर्श 26 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खसरा नम्बर 100, 541 ग्राम बोरदा प्रदर्श 27 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खसरा नम्बर 554 ग्राम बोरदा प्रदर्श 28 है, नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ख0नं0 553 ग्राम बोरदा प्रदर्श 29 पेश किए।

वादपत्र के अभिकथन तथा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है–

1. तनकी संख्या 1 " आया वाद पत्र की मद संख्या 4, 5 व 6 के मुताबिक विवादित आराजीयात का पूर्व में सहमति बंटवारा हो चुका है।" इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। प्रदर्श 2, 3 तथा 4 से स्पष्ट है कि धन्ना के वारिसों के नाम बोरदा स्थित ख0नं0 100, 54, 554 तथा 553 रकबा कमशः 0.02, 1.20, 2.08 तथा 2.02है0 दर्ज है। इसी प्रकार किसना के वारिसों के नाम ग्राम शेरगंज स्थित ख0नं0 512, 539, 540, रकबा कमशः 2.61है0, 1.37है0, 0.99है0 राजस्व अभिलेख में दर्ज है। परन्तु ख0नं0 289 रकबा 3.88 है0 पर 4/5 हिस्से पर धन्ना, घासी, पन्ना, बिशना तथा 1/5 पर किशना के वारिस दर्ज है। धन्ना के वारिसों का भी यहां 1/5 हिस्सा दर्ज होने के बावजूद उन्होने इस पर दावा नहीं किया है जिससे इस खसरे को किशना के वारिसों को सहमति से प्रदान किये जाना प्रतीत होता है तथा न ही अन्य किसी भाई घासी, पन्ना, विशना या उनके किसी वारिस। प्रतिवादी की ओर से जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने तथा वादी के अभिकथनों अनुसार राजस्व रिकॉर्ड का मिलान होने से यह स्पष्ट

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

रूप से साबित होता है कि सगे भाइयों के मध्य पूर्व में बंटवारा किया गया था जिससे सहमतिपूर्ण एवं राजीनामा अनुसार माना जा सकता है क्योंकि हस्तगत वाद के दायर होने तक वादी और प्रतिवादी के मध्य कोई अधिकारों संबंधी दावा होना नहीं पाया गया। वारिसान द्वारा उक्त ख0नं0 पर अपने अधिकारों को लेकर चाराजोही करना स्पष्ट रूप से साबित है तथा न ही उक्त नामान्तरण को किसी ने चुनौती दी। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श सं0 1 पारिवारिक विभाजन की ओर संकेत करते है। बिशना के वारिसों के नाम ग्राम खेरदा स्थित ख0नं0 379, 458/54, 354, 82, 42, 82/568, 83/569, 83 तथा 458 में जमावन्दी में बतौर रिकॉर्डेड काश्तकार दर्ज है। जिन्हे चुनौती किसी के द्वारा किया जाना साबित नहीं है। प्रदर्श 9 से 16, प्रदर्श सं0 17 से प्रदर्श सं0 24 में घांसी के वारिसान बतौर खातेदार दर्ज है। ग्राम खेरदा ख0नं0 231, 232, 233, 436, 346, 571/402, 226, 227, 228, 374, 398, 290, 114, 121, 299, 343, 344, 300, 472/1, 502, 229, 375 पर घांसी के वारिसान का नाम अंकित है जो कि अन्य किसी भाई द्वारा चुनौती दिया जाना साबित नहीं है। इसी प्रकार पन्ना के वारिसान प्रदर्श सं0 4 से प्रदर्श सं0 8 के अनुसार ख0नं0 91/1, 103, 124, 459, 460, 461, 169, 91, 91/2, 103/1 में बतौर खातेदार नाम दर्ज है। उक्त विभाजन के संबंध में वादी द्वारा साक्ष्य पी0डब्ल्यू0 1, 2, 3 4, 5 तथा 6 भी पेश किए जिन्होंने सभी ने इस बात की पुष्टि की है कि नारायण ने पांचों भाईयों के मध्य यह राजीनामा पूर्वक बंटवारा कराया था। इस प्रकार वादी मोखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से इस तनकी को साबित करने में सफल रहा है। तनकी बहक वादी तय की जाती है।

2. तनकी सं0 2 "आया दिनांक 08.06.1980 को विवादित भूमि जिसके नवीन ख0नं0 466 रकबा 5.70है0 है, पंचनामा समझौता अनुसार धन्ना के हवाले की गई।" इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तहरीर दिनांक 20.08.2015 ग्राम पंचायत बोरदा तथा गवाह पी0डब्ल्यू0 1, 2, 3, 4, 5, 6 द्वारा यह स्पष्ट रूप से साबित है विवादित 40 बीघा भूमि जिस पर वादी ने दावा किया है धन्ना के अन्य भाइयों ने धन्ना को सौंप दी थी। इस एक और महत्वपूर्ण सुदृढ आधार व पारिवारिक समझौता है जिस पर ऐसे हस्तांतरण तथा इंतकाल के संबंध में धन्ना के अन्य भाईयों की सहमति है। पारिवारिक समझौते व राजीनामा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिनकी पवित्रता उन्हे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूत आधार है क्योंकि सहमतिपूर्ण समझौतों से उभयपक्ष बाध्य होते है। इसके अतिरिक्त फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का सीनौता ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर दिनांक 22.08.2015 द्वारा तहसीलदार की जांच अनुसार ख0नं0 466 रकबा 5.70है0 पर करीब 50–60 से धन्ना के वारिसों का कब्जा होना बताया है। इस प्रकार वादी ने इस तनकी को स्वयं के पक्ष में साबित करने में सफलता पाई है अतः तनकी बहक वादी तय की जाती है।

3. तनकी सं0 3 " आया वादी ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर की कृषि आराजी ख0नं0 466 की रकबा 5.70है0 से प्रतिवादी के दादा/पिता किशना, घासी, बिसना, पन्ना पुत्रान नारायण का नाम विलोपित कराने तथा स्वयं को खातेदार घोषित कराने के हकदार है।" इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। चूंकि इस वाद पत्र में अनुतोष प्राप्त करने का मुख्य साक्ष्य पारिवारिक समझौता दिनांक 08.06.1980 संवत 2036 है जो कि पारिवारिक सदस्यों वादीगण के पिता

3. व उसके भाइयों के मध्य होना कथन किया है अतः इस साक्ष्य की विवेचना व इसकी स्वीकार्यता पर टिप्पणी अनिवार्य है। चूंकि यह समझौता दस्तावेज एक अपंजीकृत दस्तावेज है इसके आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा पर माननीय उच्चतर न्यायालयें के नजीर अवलोकनीय है। वादी द्वार प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2014–15 (supp) आरआरटी 567 रामस्वरूप बनाम श्रीलाल में राजस्व बोर्ड अजमेर ने निर्णय दावा दिया कि सहमतिपूर्ण पारिवारिक समझौते के आधार पर हुए विभाजन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में भी वादी व प्रतिवादी सगे भाई या उनके वारिसान है। इस संबंध में उच्चत न्यायालय द्वारा निर्णीत सिविल अपील नं0 7764 वर्ष 2014 Ravinder kaur Grewal VS Manjit Kaur अवलोकनीय है। "The family arrangement may be even oral in which case no registration is necessary" राजस्व बोर्ड अजमेर द्वारा 2022(2)आरआरटी 1367, बलवीर @ लक्ष्मीनारायण बनाम लालचंद मामले में इसी सिद्धांत को दोहराया गया तथा अनरजिस्टर्ड बंटवारा नामा0 रिकॉर्ड पर लिया गया तथा इसे पारिवारिक समझौता की परिभाषा के अधीन माना तथा इस हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होना निर्णीत किया। 2012(1) आरआरटी 224, Bhagwan sahay vs Bhouri lal में राजस्व बोर्ड ने प्रश्नगत पैतृक भूमि पर पक्षकारों के पारिवारिक विभाजन को नजरअंदाज करने को उचित नहीं माना। 2023(2) आरआरटी 1120 चन्द्रकला दाधिच बनाम श्री हरिश जोशी वाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पारिवारिक समझौते के रजिस्टर्ड और मुद्रांकित होने की अनिवार्यता से इनकार किया। 2023(2) आरआरटी 880, लीला देवी बनाम अमरचंद में राजस्थान उच्च न्यायालय का यही मत था कि पारिवारिक समझौता के दस्तावेज का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं तथा इसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। उक्त न्यायिक नजीरों से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि पारिवारिक समझौते के दस्तावेज को मुद्रांकित व पंजीकृत होने की आवश्कयता नहीं है तथा इसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण का पारिवारिक समझौता भी सभी भाइयों के मध्य है तथा इस समझौते से समय के गवाह नाम तुलसीराम ने स्वयं न्यायालय के समक्ष पी0डब्ल्यू0 5 के रूप में इस समझौते होने व सभी भाइयों के सहमति पूर्ण होने का कथन किया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.08.2015 ग्राम पंचायत की तहरीर दिनांक 20.08.2015 सिंचाई कर के भुगतान की रसीदों से वादी का कब्जा विवादित भूमि पर साबित होता है। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि पारिवारिक समझौते के आधार पर घोषणात्मक वाद डिक्री किया जा सकता है। इस संबंध में 2021(2)आरआरटी 1050, Ripudaman singh VS Tikka Maheshwar chand माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया निर्णय उल्लेखनीय है। इसके अनुसार "पारिवारिक समझौते का प्रवर्तन घोषणात्मक वाद में किया जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वार अभिलिखित निष्कर्ष अपास्त किये।" इस प्रकरण में वादी के भाइयों ने गवाहों के समक्ष यह समझौता किया कि विवादित भूमि पर धन्ना उसकी इच्छा के अनुरूप इंतकाल दर्ज करा सकता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। समझौते होने की पुष्टि चश्मदीद गवाह पी0डब्ल्यू0 1 तुलसी राम पुत्र सीताराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं की तथा समझौते पर सभी भाइयों के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त अन्य गवाहों ने भी इसकी पुष्टि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

की इस प्रकार सहमतिपूर्ण समझौता प्रतिवादी द्वारा खंडित या अस्वीकार भी नहीं किया जा सका जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हुए परन्तु समय पर जवाब नहीं देने के कारण उसका अवसर बंद किया गया इस प्रकार यह समझौता चुनौती से बाहर था जिसके तथ्यों, तर्कों व साक्ष्यों से साबित कराया गया है। अतः धन्ना के भाई पन्ना, घासी, विशना व किसना तथा उनके वारिसान का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित कराकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के हकदार है। अतः यह तनकी बहस वादी तय की जाती है।

4. तनकी नं0 4 " आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के हकदार है।" इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। चूंकि तनकी सं0 3 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है अतः ख0नं0 466 रकबा 5.70है0 ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर के लिए वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है। अतः तनकी बहस वादी तय की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर पटवार हल्का ढीपरी चम्बल तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी ख0नं0 466 रकबा 5.70है0 से समस्त नाम एवं हिस्से विलोपित किया जाकर वादी सं0 1/1 से लगायत 1/5 (साहबलाल, लक्ष्मीचंद, हेमराज, पुत्रान मांगीलाल, कैलाश बाई, मेवा बाई पुत्रिया मांगीलाल जातियान मीणा निवासीगण बोरदा) को प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का, वादी सं0 2/1 लगायत 2/8 (बच्छराज, रामकरण, कोमलचंद, अर्जूनलाल, मदनलाल पुत्रान लटूरलाल, तस्वीर बाई, मूर्ति बाई, प्रकाश बाई पुत्रियां लटूरलाल जातियान मीणा निवासीगण खेरदा) को प्रत्येक को 1/32–1/32 हिस्से का, वादी सं0 3/1, लगायत 3/4 (लेखराज, कैलाशचंद पुत्रान बंशीलाल, राजकरन्ता, कलावती पुत्रियां बंशीलाल जातियान मीणा निवासीगण बोरदा) को प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्से का तथा वादी सं0 4, 5, 6, 7 व 8 (महावीर, परमानन्द पुत्रान जगन्नाथ, जलेबी, संतरा पुत्रियां जगन्नाथ, रामप्यारी पत्नि जगन्नाथ जातियान मीणा निवासीगण बोरदा) को प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधि से कराये। राजस्व अभिलेख ने तदनुसार प्रविष्टियां दर्ज हो इस आशय की डिक्री जारी हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
117 / 2015	25 / 06 / 2015	06.01.2026

1 मांगीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मृतक के कायम मुकामान

1 / 1 साहबलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा

1 / 2 लक्ष्मीचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीणा

1 / 3 हेमराज पुत्र मांगीलाल जाति मीणा

1 / 4 कैलाशबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा

1 / 5 मेवाबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा निवासीगण बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

2 लटूरलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मृतक के कायम मुकामान

2 / 1 बच्छराज पुत्र लटूरलाल जाति मीणा

2 / 2 रामकरण पुत्र लटूरलाल जाति मीणा

2 / 3 कोमलचन्द पुत्र लटूरलाल जाति मीणा

2 / 4 अर्जुनलाल पुत्र लटूरलाल जाति मीणा

2 / 5 मदनलाल पुत्र लटूरलाल जाति मीणा

2 / 6 तस्वीरबाई पुत्री लटूरलाल जाति मीणा

2 / 7 मूर्तिबाई पुत्री लटूरलाल जाति मीणा

2 / 8 प्रकाशबाई पुत्री लटूरलाल जाति मीणा निवासीगण खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

3 बंशीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मृतक के कायम मुकामान

3 / 1 लेखराज पुत्र बंशीलाल जाति मीणा

3 / 2 कैलाशचन्द पुत्र बंशीलाल जाति मीणा

3 / 3 राजकरन्ता पुत्री बंशीलाल जाति मीणा

3 / 4 कलावती पुत्री बंशीलाल निवासीगण बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

4 महावीर पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा

5 परमानन्द पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा

6 जलेबी पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा

7 संतरा पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा

8 रामप्यारी बेवा जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1 बिरधीलाल पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी अल्लापुर तहसील पीपल्दा मृतक जरिये कायममुकामन

1 / 1 लटूरलाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी अल्लापुर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

1/2 हेमराज पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी अल्लापुर
1/3 कन्या बेवा बिरधीलाल जाति मीणा निवासी अल्लापुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2 रामनिवास पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा
3 लटूरलाल पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा
4 दाखा पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा
5 कमला पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा
6 रामसिया पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
7 भवानीशंकर पुत्र घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
8 चन्द्रभान पुत्र धाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
मृतक के कायममुकामान
8/1 काली पत्नी चन्द्रभान जाति मीणा
8/2 ओम पुत्र चन्द्रभान जाति मीणा
8/3 नरेश पुत्री चन्द्रभाण जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
9 चौथमल पुत्र घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
10 केदारलाल पुत्र घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
11 गिर्राज पुत्र घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
12 गीता पुत्री घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
13 अयोध्या पुत्री घाँसी जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
14 सीताराम पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
मृतक के कायममुकामान
14/1 जोधराज पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा
14/2 चेतन पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा
14/3 संतोष पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा
14/4 सीमा पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा
14/5 फुमा बेवा सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
15 कुंजबिहारी पुत्र किसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
16 छगनलाल पुत्र किसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
17 छोटूलाल पुत्र किसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
18 रूकमणी पुत्री किसना जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मृतक के कायम मुकामान –
18/1 रवि पुत्र रूकमणी जाति मीणा
18/2 रामरेश पुत्री रूकमणी जाति मीणा
19 किशकिन्धा पुत्री किसना जाति मीणा निवासी बोरदा
20 प्रभूलाल पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा
21 रामहैत पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा
22 बद्रीलाल पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

23 रामकल्याण पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा
24 गायत्री पुत्री बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा
25 दोपदी पुत्री बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा
26 गोमदी पुत्री बिसना जाति मीणा निवासी खैरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री श्याम बैरवा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री एस0टी0एच0 आब्दी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर पटवार हल्का ढीपरी चम्बल तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी ख0नं0 466 रकबा 5.70है0 से समस्त नाम एवं हिस्से विलोपित किया जाकर वादी सं0 1/1 से लगायत 1/5 (साहबलाल, लक्ष्मीचंद, हेमराज, पुत्रान मांगीलाल, कैलाश बाई, मेवा बाई पुत्रिया मांगीलाल जातियान मीणा निवासीगण बोरदा) को प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का, वादी सं0 2/1 लगायत 2/8 (बच्छराज, रामकरण, कोमलचंद, अर्जूनलाल, मदनलाल पुत्रान लटूरलाल, तस्वीर बाई, मूर्ति बाई, प्रकाश बाई पुत्रियां लटूरलाल जातियान मीणा निवासीगण खेरदा) को प्रत्येक को 1/32–1/32 हिस्से का, वादी सं0 3/1, लगायत 3/4 (लेखराज, कैलाशचंद पुत्रान बंशीलाल, राजकरन्ता, कलावती पुत्रियां बंशीलाल जातियान मीणा निवासीगण बोरदा) को प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्से का तथा वादी सं0 4, 5, 6, 7 व 8 (महावीर, परमानन्द पुत्रान जगन्नाथ, जलेबी, संतरा पुत्रियां जगन्नाथ, रामप्यारी पत्नि जगन्नाथ जातियान मीणा निवासीगण बोरदा) को प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधि से कराये। राजस्व अभिलेख ने तदनुसार प्रविष्टियां दर्ज होतद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 06.01.2026 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा